

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग-5)

एफ 27(47)/ग्राविवि-5/पीएमएवाई/M-1/जिला/2016-17 जयपुर, दिनांक : 19 जुलाई, 2016

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद (ग्रा.वि.प्र)
समस्त, राजस्थान।

विषय :- प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत आवास स्वीकृति एवं किश्त हस्तांतरण के प्रपत्र के सम्बंध में।

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2016-17 से इन्दिरा आवास योजना को सुदृढीकृत कर प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण प्रारम्भ की गई है। जिसका विधिवत शुभारम्भ माह अगस्त में किया जाना प्रस्तावित है।

उक्त सम्बंध में SECC-2011 के आधार पर तैयार की गई वर्गवार सूची के वरीयता क्रम के अनुसार पात्र लाभार्थियों को लक्ष्यानुसार आवास स्वीकृत किये जाने हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के क्रियान्वयन में आवास स्वीकृति एवं किश्त हस्तांतरण हेतु प्रपत्र-1(अ) व (ब), 2 एवं 3 संलग्न कर निर्देशानुसार लेख है कि पात्र लाभार्थियों के फार्म भरवाकर पंजीयन की कार्यवाही अविलम्ब प्रारम्भ की जावे।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

भवदीय
(के.के.शर्मा) 19/7
अधीक्षण अभियन्ता, ग्रावि

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, सचिवालय, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, सचिवालय, जयपुर।
3. संयुक्त सचिव (ग्रा.आ.), ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, सचिवालय, जयपुर।
5. जिला कलक्टर समस्त राजस्थान।
6. परियोजना निदेशक एवं पदेन उप सचिव (मो एवं मू) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करवाने बाबत।

अधीक्षण अभियन्ता, ग्रावि 19/7

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण का आवेदन-पत्र
(आवेदक द्वारा सहायता राशि हेतु आवेदन पत्र ग्रामसेवक/टैग अधिकारी/ई-मित्र आदि के माध्यम से)

ग्राम पंचायत..... पंचायत समिति

प्रार्थी का वर्ग (अनु.जाति/अनु.जन जाति/अल्पसंख्यक/ओबीसी/अन्य)

(परिवार की महिला मुखिया के नाम से आवास स्वीकृत किया जावे।)



आवेदक का फोटो
आवेदक द्वारा
प्रमाणित

(पंचायत समिति के प्रशासनिक स्वीकृति आदेश क्रमांक दिनांक..... क्र.सं के क्रम में)

पात्रता :- SECC-2011 के आधार पर तैयार की गई वरीयता सूची, जिन्होंने पूर्व में किसी भी योजनान्तर्गत आवास हेतु अनुदान सहायता प्राप्त नहीं की है तथा वर्तमान में पक्का आवास नहीं है।

- आवेदक का नाम- श्री/श्रीमती/सुश्री
- पति/पिता का नाम
- SECC-2011 की वरीयता सूची में दर्ज परिवार के मुखिया का नाम आवेदक का परिवार के मुखिया से सम्बन्ध
- (ए) SECC-2011 में आवेदक का TIN No..... (बी) आधार संख्या (यदि उपलब्ध हो) (सी) जॉबकार्ड नं
(डी) एसबीएम आईडी नं. (ई) भामाशाह कार्ड नं
- आवेदक का SECC-2011 के अनुसार वरीयता क्रमांक
- आवेदक (यदि दिव्यांग है तो विकलांग का प्रमाण पत्र संलग्न करें)
- पूर्ण पता (मोहल्ला/ढाणी/मगरा)
- ग्राम ग्रा.पं. पोस्ट पं.स. जिला
- प्रार्थी का मोबाइल नं. स्वयं का मो. नं. नहीं होने पर पड़ोसी/रिश्तेदार का मोबाइल नं.
- पट्टा धारक का पूरा नाम
- यदि निर्माण स्थल की जमीन का पट्टा आवेदक के नाम नहीं है तो विवाद रहित प्रस्तावित निर्माण स्थल की भूमि (कृषि भूमि/आबादी भूमि) का ब्यौरा :-
- प्रस्तावित जमीन - चारागाह/जोहड पायतान/राजकीय भूमि पर अतिक्रमण का स्थल नहीं है।
- सीबीएस आधारित बैंक का खाता संख्या शाखा आईएफएससी कोड (पास बुक की फोटो प्रति संलग्न करें)
- मैं/मेरे परिवार के सदस्यों ने पूर्व में किसी भी योजना में आवास हेतु अनुदान सहायता प्राप्त नहीं की है, व वर्तमान में पक्का मकान नहीं है एवं निम्न सुविधाएं मेरे पास उपलब्ध नहीं है :-
 - मोटर साइकिल दुपहिया/तिपहिया/चौपहिया वाहन/मच्छली नाव - नहीं है।
 - मेकैनाइज्ड तिपहिया/चौपहिया वाहन कृषि उपकरण - नहीं है।
 - किसान क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट सीमा के साथ 50 हजार या उससे अधिक का - नहीं है।
 - परिवार का कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी - नहीं है।
 - परिवार के गैर कृषि उधमों का सरकार के साथ पंजीकृत - नहीं है।
 - परिवार के किसी भी सदस्य की आय अधिकतम रुपये 10 हजार प्रति माह - नहीं है।
 - इन्कमटैक्स - नहीं देता हूँ।
 - व्यावसायिक कर - नहीं देता हूँ।
 - स्वयं का रेफ्रिजरेटर - नहीं है।
 - स्वयं का लेण्डलाइन फोन - नहीं है।
 - स्वयं 2.5 एकड़ या अधिक सिंचित भूमि के साथ एक सिंचित उपकरण - नहीं है।
 - 5 एकड़ या अधिक सिंचित भूमि के लिए दो या अधिक फसल मौसम - नहीं है।
 - मालिक 7.5 एकड़ भूमि या अधिक, एक सिंचाई उपकरण के साथ - नहीं है।
 - किसी भी सरकारी योजना में आवास निर्माण हेतु मेरे परिवार के पक्ष में आदिनांक तक कोई स्वीकृति जारी नहीं हुई है अथवा कोई पक्का मकान आवंटन - नहीं है।
- सरकार द्वारा नवीन आवास हेतु निर्धारित अनुदान सहायता राशि से मैं न्यूनतम 25 वर्गमीटर प्लिंथ क्षेत्र का नवीन पक्का आवास निर्माण अधिकतम 12 माह की अवधि में पूर्ण कराने के लिए वचनबद्ध हूँ। आवासीय अनुदान सहायता से अधिक होने वाले व्यय की व्यवस्था मैं अपने स्तर पर स्वयं करूंगा।

- संलग्न :-
- (1) सीबीएस बैंक खाता पासबुक की फोटो प्रति। (स्वयं द्वारा सत्यापित)
 - (2) प्रस्तावित जमीन से सम्बन्धित दस्तावेज की प्रति। (स्वयं द्वारा सत्यापित)
 - (3) नरेगा जॉब कार्ड एवं आधार कार्ड की प्रति (यदि उपलब्ध हो)। (स्वयं द्वारा सत्यापित)
 - (4) दिव्यांग हो तो प्रमाण पत्र की प्रति। (स्वयं द्वारा सत्यापित)

आवेदक के हस्ताक्षर

(नाम))

सम्पूर्ण आवेदन ग्रामसेवक/ई-मित्र/टैग अधिकारी/पंचायत समिति को प्रस्तुत करने का दिनांक

-:: प्राप्ति रसीद ::-

श्री/श्रीमती/सुश्री पुत्री/पुत्र/पत्नी श्री ग्रा.पं. का प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण हेतु आवेदन (प्रपत्र-1) मय फोटो एवं संलग्न विवरण दिनांक को प्राप्त किया।

हस्ताक्षर प्राप्तकर्ता

नोट :- उक्त आवेदन पत्र CSC/E-Mitra केन्द्र, टैग अधिकारी, कार्यालय ग्राम पंचायत अथवा कार्यालय पंचायत समिति में से किसी भी एक जगह जमा कराया जा सकेगा। शिकायत/समस्या हेतु पंचायत समिति/जिला परिषद् कार्यालय अथवा राज्य स्तरीय मोबाइल नम्बर 9116057308 पर Whatsapp/SMS/phone करें।

केवल कार्यालय उपयोग हेतु

प्रपत्र-24(1/2)
(प्रपत्र -1(ब) नवीन आवास हेतु स्वीकृति)

ग्राम सेवक अथवा आवास हेतु नियुक्त टैग अधिकारी (पंचायत/प्रगति/उद्योग प्रसार अधिकारी, एईएन, जेईएन, जेटीए, ग्राम रोजगार सहायक आदि अन्य राजकीय कर्मचारी/अधिकारी) द्वारा आवास स्वीकृति हेतु प्रमाणीकरण

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती/श्री/सुश्री पत्नी/पिता/पुत्रीवर्ग (अनु. जाति/अनु.जन जाति/अल्पसंख्यक/ओबीसी/अन्य) SECC-2011 वरीयता सूची TIN NOका नाम SECC-2011 वरीयता सूची क्रमांक पर दर्ज है। सीबीएस आधारित बैंक खाता संख्या (बैंक) शाखा में हैं। प्रार्थी द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक तक आवेदक का कोई पक्का आवास नहीं है। पूर्व में किसी भी राज्य/केन्द्र प्रवर्तित योजना में आवास हेतु अनुदान सहायता प्राप्त नहीं की है साथ ही बिन्दु संख्या 14 में अंकित समस्त शर्तों का सत्यापन कर लिया गया है। प्रार्थी प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण हेतु पात्र हैं। आवेदन मय फोटो एवं सलंगन दस्तावेजों की एक-एक फोटो प्रति ग्राम पंचायत की पत्रावली में रख ली है एवं ग्राम पंचायत के रजिस्टर के पृष्ठ संख्यापर क्र.सं पर नाम दर्ज कर लिया है। फोटो सहित मूल आवेदन (प्रपत्र-1) एवं सलंगन दस्तावेजों को पंचायत समिति में स्वीकृति हेतु प्रस्तुत कर दिया है। आवास निर्माण हेतु प्रस्तावित जमीन चरागाह/जोहड, पायतन/राजकीय भूमि पर अतिक्रमण का स्थल नहीं हैं। प्रार्थी का फोटो व हस्ताक्षर प्रमाणित किये जाते हैं।

(भूमिहीन पात्र लाभार्थियों की स्वीकृती जारी कर आवासीय भूमि उपलब्ध कराने की नियमानुसार कार्यवाही की जावे। अपात्र के लिए लाल स्याही से मोटे अक्षरों में नोट अंकित कर दिनांक सहित हस्ताक्षर करें)

हस्ताक्षर टैग अधिकारी
(पंचायत/प्रगति/उद्योग प्रसार अधिकारी, एईएन, जेईएन, जेटीए, ग्राम रोजगार सहायक आदि अन्य राजकीय कर्मचारी/अधिकारी)
नाम व पद.....

हस्ताक्षर ग्राम सेवक पदेन सचिव
(नाम)
सील

कार्यालय पंचायत समिति

श्री/श्रीमती पिता/पति जातिवर्ग
..... निवासी ग्राम ग्राम पंचायत पंचायत समिति
..... जिला SECC-2011 वरीयता सूची क्रमांकके आवेदन पत्र एवं ग्राम सेवक की प्राप्त रिपोर्ट, मूल आवेदन (प्रपत्र-1) फोटो सहित संलग्न दस्तावेज के आधार पर योजना के अन्तर्गत राशि रु. की अनुदान सहायता की वित्तीय स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है। मूल आवेदन पत्र का Aawas Soft पर Registration कर दस्तावेज पंचायत समिति की पत्रावली में रख लिये गये है एवं पंचायत समिति के रिकार्ड व रजिस्टर में विवरण दर्ज कर लिया है ।
क्रमांक: /दिनांक.....

विकास अधिकारी
पं. सं.....

नोट :-

1. आवेदक के अपात्र पाये जाने पर प्रशासनिक स्वीकृति निरस्त कर आवेदक को सूचित जावेगा।
2. पंचायत समिति द्वारा स्वीकृति के साथ महात्मा गांधी नरेगा की मस्टररोल जारी की जावेगी एवं कार्य शुरू करने के पश्चात् प्रथम किश्त की राशि लाभार्थी के बचत खाते में जमा होने की तिथि के तत्काल बाद न्यूनतम 25 वर्ग मीटर प्लिंथ क्षेत्र का नवीन पक्का आवास निर्माण कार्य अधिकतम 12 माह की अवधि में पूर्ण करना होगा।

(उपयोगिता प्रमाण पत्र)
प्रथम किशत का उपयोगिता प्रमाण पत्र

लाभार्थी श्री/श्रीमती पत्नी/पुत्र वर्ग (अनु.जाति/अनु.जन जाति/
अल्पसंख्यक/ओबीसी/अन्य) SECC-2011 वरीयता सूची क्रमांक ग्राम
ग्रा.पं. को जिला परिषद/पंचायत समिति की वित्तीय स्वीकृति आदेश क्रमांक
दिनांकके क्र.सं. के द्वारा नवीन आवास निर्माण हेतु प्रथम किशत की हस्तान्तरित
अनुदान सहायता राशि रु इनके बचत खाता संख्या बैंक (नाम)
स्थान में दिनांक को जमा हुई थी। मैंने लाभार्थी के आवास का भौतिक
सत्यापन मौके पर दिनांक को कर लिया है, निर्माणाधीन आवास स्थल चारागाह /जोहड़
पायतन/राजकीय भूमि पर अतिक्रमण का स्थान नहीं है। नवीन आवास का निर्माण 25 वर्ग मीटर में कुर्सी
स्तर तक पूर्ण कर लिया गया है।

इस प्रकार प्रथम किशत की अनुदान सहायता राशि का पूर्ण उपयोग कर लिया गया है। अतः लाभार्थी को
द्वितीय किशत जारी करने की अनुशंसा की जाती है। निर्माणाधीन आवास का Geo Tagged फोटो प्रमाणित किया
जाता है। उपयोगिता प्रमाण पत्र की एक फोटो प्रति ग्राम पंचायत की पत्रावली में रख ली है एवं ग्राम पंचायत
के रजिस्टर के पृष्ठ पर क्र.सं. पर दर्ज कर कुर्सी स्तर तक नव निर्मित आवास के साथ
लाभार्थी का फोटो सहित उपयोगिता प्रमाण पत्र पं.स. में दिनांकको जमा करवाई जा रही हैं एवं
महात्मा गांधी नरेगा अन्तर्गत जारी स्वीकृति के क्रम में उक्त निर्माण कार्य के विरुद्ध जारी मस्टररोल संख्या
..... भुगतान हेतु जमा करा दिया है।

* मोबाइल आवास एप के माध्यम
से Geo Tagged फोटो अपलोड
किये जाने पर फोटो चिपकाना
आवश्यक नहीं

कुर्सी स्तर तक नव निर्मित आवास के
साथ लाभार्थी का फोटो (साइज- 6 इंच
X 4 इंच) ग्राम सेवक द्वारा प्रमाणित

हस्ताक्षर ग्राम सेवक/
अधिकृत टैग अधिकारी (केवल राजकीय
अधिकारी/कर्मचारी)
(नाम.....)
सील
दिनांक

नोट:- टैग अधिकारी राजकीय अधिकारी/कर्मचारी नहीं होने पर उक्त प्रमाण पत्र ग्राम सेवक पदेन सचिव द्वारा
सत्यापित किया जावेगा।

कार्यालय पंचायत समिति.....

श्री/श्रीमती पिता/पति जाति वर्ग निवासी ग्राम
..... ग्राम पंचायत पंचायत समिति जिला SECC-2011 वरीयता सूची
क्रमांक के द्वितीय किशत हेतु उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं ग्राम सेवक की प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर
मूल आवेदन (प्रपत्र-3) फोटो सहित संलग्न दस्तावेज के आधार परयोजना के अन्तर्गत आदेश
क्रमांक/दिनांक के द्वारा जारी राशि रु के उपरान्त द्वितीय किशत की राशि रु.
जारी करने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है। मूल आवेदन पत्र का Aawas Soft पर प्रविष्टि कर
दस्तावेज पंचायत समिति की पत्रावली में रख लिये गये है एवं पंचायत समिति के रेकार्ड व रजिस्टर में विवरण दर्ज
कर लिया है।

क्रमांक/दिनांक

विकास अधिकारी
पं.सं.

नोट :- द्वितीय किशत की राशि लाभार्थी के बचत खाते में जमा होने की तिथि से अधिकतम 4 माह की अवधि में
छत का कार्य मय स्वच्छ शौचालय के पूर्ण कराना होगा।

पूर्णता प्रमाण-पत्र का भौतिक सत्यापन

यह प्रमाणित किया जाता है कि लाभार्थी श्री/श्रीमती पुत्र/पत्नी
 ग्राम ग्रा.पं..... SECC-2011 वरीयता सूची क्रमांक
को जिला परिषद/पंचायत समिति की वित्तीय स्वीकृति आदेश क्रमांकदिनांक के द्वारा
 नवीन आवास निर्माण हेतु प्रथम / द्वितीय किशत की हस्तान्तरित अनुदान सहायता राशि रूपये इनके बचत
 खाता संख्या बैंक स्थान में दिनांक को जमा हुई
 थी। लाभार्थी द्वारा 25 वर्गमीटर या इससे अधिक कुर्सी क्षेत्र (प्लिंथ ऐरिया) में नवीन आवास का निर्माण कार्य छत का
 पूर्ण कर लिया है। उक्त आवास का मौके पर दिनांक को भौतिक सत्यापन कर लिया गया है।
 आवास की दीवार पर साईन बोर्ड पेन्ट किया हुआ है।

इस प्रकार लाभार्थी ने आवास की छत का कार्य पूर्ण कर, कुल स्वीकृत अनुदान राशि रु.
 का उपयोग कर लिया है।

नोट :-

1. आवास के अतिरिक्त स्वच्छ शौचालय का निर्माण कराया जा रहा है। (हॉ/नहीं)
2. यदि हॉ तो क्या स्वच्छ शौचालय का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है। (हॉ/नहीं)
3. महात्मा गांधी नरेगा के अन्तर्गत कन्वर्जेंन्स के तहत भुगतान किये गये
 अकुशल मानव दिवसों की संख्या राशि रु. मस्टररोल संख्या

* मोबाइल आवास एप के माध्यम
 से Geo Tagged फोटो अपलोड
 किये जाने पर फोटो चिपकाना
 आवश्यक नहीं

कुर्सी स्तर तक नव निर्मित आवास के
 साथ लाभार्थी का फोटो (साइज- 6 इंच
 X 4 इंच) ग्राम सेवक द्वारा प्रमाणित

हस्ताक्षर ग्राम सेवक/
 अधिकृत टैग अधिकारी (केवल राजकीय
 अधिकारी/कर्मचारी)

(नाम.....)

सील

दिनांक

नोट:- टैग अधिकारी राजकीय अधिकारी/कर्मचारी नहीं होने पर उक्त प्रमाण पत्र ग्राम सेवक पदेन सचिव द्वारा
 सत्यापित किया जावेगा।

कार्यालय पंचायत समिति.....

श्री/श्रीमती पिता/पति जाति वर्ग
 निवासी ग्राम ग्राम पंचायत पंचायत समिति
 जिला SECC-2011 वरीयता सूची क्रमांक के तृतीय किशत हेतु आवेदन पत्र एवं
 ग्राम सेवक/टैग अधिकारी से प्राप्त पूर्णता प्रमाण पत्र के परीक्षण उपरान्त फोटो सहित संलग्न दस्तावेज के आधार
 पर योजना के अन्तर्गत आदेश क्रमांक/दिनांक के द्वारा जारी राशि रु
 के उपरान्त तृतीय किशत की राशि रु. जारी करने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।
 मूल आवेदन पत्र का Aawas Soft पर प्रविष्टि कर दस्तावेज पंचायत समिति की पत्रावली में रख लिये गये हैं एवं
 पंचायत समिति के रेकार्ड व रजिस्टर में विवरण दर्ज कर लिया है।

क्रमांक:/दिनांक

विकास अधिकारी

पं.सं.